प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बडौत **दिनाँक 31.03.2026**

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 213/26 धारा 333/74/351/352/115(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरूद्ध की कार्यवाही।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 213/26 धारा 333/74/351/352/115(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 बाल अपचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का गई है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।
2- है0का0 438 कवित कुमार थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।
3- है0का0 14 अश्वनी कुमार थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 31.03.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 पाउच देशी शराब शराब बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पाउच देशी शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 60 आब0 अधि0 अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरिकिशन पुत्र बलदेवा निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 59 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 24 पाउच यूपी नं0 1 देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत।

2-है0का0 84 खेमराज सिंह थाना कोतवाली बागपत।

3-का0 1130 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 31.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 550 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 550 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 90/26 धारा 68/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अहसान अब्बास पुत्र खलील अब्बास निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 37 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध 01 किलो 550 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2- है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
3- है0का0 481 गुरदीप थाना बिनौली जनपद बागपत।
4- है0का0 714 रविन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत।
5- है0का0 851 कुलदीप गोस्वामी थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 31.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 88/26 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जयदीप उर्फ बाबू पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2- का0 892 तेजवीर थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 31.03.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 111/26 धारा 109(1)/118(2)/333/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.03.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी हनी पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त कंवरपाल पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा उसके चाचा मुकेश के घर में घुसकर उसके चाचा व चाची के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से दराती से उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयीं तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 111/26 धारा 109(1)/118(2)/333/352/351/(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस

द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/26 धारा 109(1)/118(2)/333/352/351/(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कंवरपाल पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-का0 23 अजयपाल सिह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।